



बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

Balmer Lawrie Investments Ltd.

(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत कार्यालय :
21, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता - 700 001
फोन : (91) (033) 2222 5227

Regd. Office :
21, Netaji Subhas Road
Kolkata - 700 001
Phone : (91)(033) 2222 5227
CIN : L65999WB2001GOI093759

Ref: BLIL/R/2017/00001

दिनांक: 20 मार्च 2017

श्री ए. के. विश्वकर्मा
1, तालकटोरा लेन
नई दिल्ली 110001

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना

यह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 8 मार्च, 2017 को आपके द्वारा किए गए आवेदन पत्र के संदर्भ में है, जो 16 मार्च, 2017 को हमारे द्वारा प्राप्त हुआ था जिसमें आपने हमें बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के विवरण के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है।

हम इस पत्र के तहत वांछित जानकारी प्रदान कर रहे हैं:

1. कंपनी की सीएसआर नीति अनुलग्न-ए के रूप में संलग्न है।
2. वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 से संबंधित सीएसआर बजट इस प्रकार है:

वर्ष	₹. (लाख में)
2014-15	8.8858
2015-16	10.3367
2016-17	11.34587

3. वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए "प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि" में योगदान द्वारा सीएसआर व्यय किया गया था।
4. कंपनी द्वारा सीएसआर व्यय कंपनी का स्वरूप, उपलब्ध सीमित संसाधन और सीएसआर समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए पूर्वोक्त गतिविधियों में किया गया था।
5. सीएसआर गतिविधि पर खर्च सीएसआर समिति की सिफारिश और निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार किया जाता है।
6. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी द्वारा शून्य प्रस्ताव प्राप्त हुए और स्वीकार किए गए थे।
7. सीएसआर का व्यय सीधे कंपनी द्वारा किया जाता है। जैसा की उपर्युक्त क्रमांक 3 में बताया गया है, सी. एस. आर व्यय "प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि" में योगदान द्वारा किया गया है।
8. वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान सीएसआर पर कोई प्रस्ताव नहीं मिले और स्वीकार किए गए। प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान द्वारा सीएसआर व्यय किया गया था। सीएसआर गतिविधि सीधे कंपनी द्वारा किया गया था। कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर व्यय निम्नानुसार थे:



सीएसआर व्यय का विवरण	वर्ष 2015-16 रु. (लाख में)	वर्ष 2016-17 रु (लाख में)
प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान	10.3367	11.34587

९. वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए कंपनी द्वारा किए गए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

सीएसआर व्यय का विवरण	वर्ष 2015-16 रु. (लाख में)	वर्ष 2016-17 रु (लाख में)
प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान	10.3367	11.34587

१०. प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि में योगदान करने के द्वारा सीएसआर व्यय किया गया था। व्यय का विवरण उत्तर "९" में दिया गया है।
११. व्यय का विवरण ऊपर उत्तर "९" में दिया गया है।
१२. सीएसआर गतिविधि पर खर्च सीधे कंपनी द्वारा किया गया था, कोई एजेंसी या अन्य संगठन/ कंपनी द्वारा नहीं किया गया था।
१३. वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में सी. एस. आर के अंतर्गत स्वीकृत किसी भी परियोजना प्रस्ताव के सन्दर्भ में कोई सिफारिश पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
१४. वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए कंपनी की सीएसआर गतिविधि पूरी हो गई है।
१५. सीएसआर गतिविधि के लिए कोई समर्पित विभाग नहीं है, लेकिन एक सीएसआर समिति है। इस समिति का विवरण नीचे दिया गया है:
- श्रीमती पेरीन देवी, सरकारी नामांकित निदेशक
 - श्री श्याम सुंदर खूटिया, निदेशक
 - श्रीमती किरण वासुदेवा, सरकारी नामांकित निदेशक
१६. कंपनी के सी. एस. आर विभाग में कार्यरत किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है।

भवदीय

अभिषेक लाहोटी

अभिषेक लाहोटी

लोक सूचना अधिकारी

संलग्न : अनुलग्न - ए





Balmer Lawrie Investments Ltd.
CIN: L65999WB2001GOI093759

Balmer Lawrie Investments Limited
Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainability Policy

Philosophy

The Policy is in the nature of initiatives or endeavour which the key stakeholders expect of the Company in the discharge of their Corporate Social Responsibility. It reflects the willingness of the Company to voluntarily take a few extra steps to address social, economic and environmental concerns but are nevertheless worthy of attention for promotion of sustainable development in its diverse dimensions.

Activities to be undertaken

It is the policy of the Company to undertake any activity which is permissible to be carried out towards CSR as per:

- 1) Schedule VII of the Companies Act, 2013 (the act) and the allied Rules, including any statutory amendment thereof,
- 2) The guidelines formulated by the Department of Public Enterprises (DPE) on CSR and Sustainability (hereinafter referred to as 'the Guidelines') which are applicable to CPSEs.

Implementation

The Company shall endeavour to implement activities/programs as per the CSR Policy keeping in view:

- 1) the constraints faced due to the form and nature of organisation.
- 2) the administrative and incidental cost are minimum so that the maximum expenditure so allocated is spent for the benefit of the society.

CSR Expenditure

CSR expenditure will include all expenditure, direct and indirect, incurred by the Company on CSR Activities/Programmes undertaken in accordance with the approved CSR Plan.

Any surplus arising from any CSR Activities/Programmes shall be used for CSR. Accordingly, any income arising from CSR Programmes will be netted off from the CSR expenditure and such net amount will be reported as CSR expenditure.

Approved at Board meeting dated 27 January 2017